




भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का  
प्रतिवेदन

संघ सरकार

1995 की संख्या 22 (वाणिज्यिक)

CAG  
351.7232R  
N5;1

फेरो स्कैप निगम लिमिटेड





भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का  
प्रतिवेदन

संघ सरकार

1995 की संख्या 22 (वाणिज्यिक)

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

15.1

351-72328

CA 4

2948196  
10.00.16.9500  
MILITARY COINS. PUBLIC DOMAIN (C)

## विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	i
	विहंगावलोकन	iii
1.	प्रस्तावना	1
2.	लक्ष्य	2
3.	उत्पादन निष्पादन	4
4.	सामग्री प्रबन्धन और सामान सूची नियन्त्रण	10
5.	संयन्त्र और मशीनरी	12
6.	वित्तीय निष्पादन	15
7.	श्रमबल विश्लेषण	17
8.	आन्तरिक लेखापरीक्षा	18
9.	ध्यान देने योग्य अन्य विषय	19
अनुबन्ध ।	यूनिटवार उत्पादन निष्पादन	22
अनुबन्ध ॥ (क)	एन एस टी सी से पट्टा पर लिए गए उपस्कर	24
अनुबन्ध ॥ (ख)	अधिक उपस्करों की संख्या और मूल्य	25



## प्राककथन

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 1995 की संख्या 1 (वाणिज्यिक) की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनियों/निगमों के निष्पादन की समीक्षा अलग अलग प्रतिवेदनों में प्रस्तुत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में फेरो स्कैप निगम लिमिटेड के कार्यचालन की समीक्षा शामिल की जाती है।



## विहंगावलोकन

### 1. प्रस्तावना

फेरो स्कैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल) 200 लाख रु. प्राधिकृत पूजी के साथ 28 मार्च 1979 को निर्गमित हुआ। इस को मेसर्स हेकेट इंजीनियरिंग कम्पनी (भारत की शाखा), हारस्को कारपोरेशन (इन्क) यू.एस.ए. का एक प्रभाग, के चालू करोबार को अपने हाथ में ले लिया।

(पैरा 1)

### 2. उद्देश्य

कम्पनी का मुख्य उद्देश्य लोहा और इस्पात स्कैप तथा अन्य धातुओं की रिकवरी के लिए इस्पात मिलों के धातु मल तथा अन्य रद्दी के संसाधन के कारोबार को चलाना है। कम्पनी ने सूक्ष्म उद्देश्यों का प्रतिपादन नहीं किया है।

(पैरा 2)

### 3. उत्पादन निष्पादन

(i) सी ई टी की रिपोर्ट के अनुसार 1984-85 तक भण्डार में संचित स्कैप की कुल मात्रा 22.40 लाख टन थी किन्तु कम्पनी ने मात्र 9.65 लाख टन ही हिसाब में लिया। इस प्रकार 31 मार्च 1994 तक 27.13 लाख टन का अन्तर था। अभी तक इसका समाधान नहीं किया गया है।

(पैरा 3.01)

(ii) भिलाई यूनिट में 10.54 लाख टन की कुल मात्रा में से 7.58 लाख टन की भारी मात्रा प्राइवेट ठेकेदार के माध्यम से संसाधित कराई गई थी।

(पैरा 3.01(i))

(iii) सभी युनिटों में प्रतिष्ठापित क्षमता कम नियारित की गई थी।

(पैरा 3.02)

(iv) अपेक्षित बचनबद्धता पूरी करने में कम्पनी की चूक के कारण 1985-86 से 1993-94 के दौरान 9.48 लाख टन स्कैप की रिकवरी के लिए इस्पात संयन्त्र द्वारा प्राइवेट ठेकेदार को नियोजित करना पड़ा था।

(पैरा 3.03)

### 4. सामग्री प्रवन्धन और सामान सूची नियन्त्रण

(i) सी ई टी, एस ए आई एल द्वारा नियारित मानक की तुलना में भण्डारों और फालतू पुजों के उपयोग पर 1472.77 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैरा 4.01)

## 5. संयन्त्र और मशीनरी

(i) उत्पादनकारी उपस्कर (उत्खनित्र) के उपयोग की प्रतिशतता उपलब्ध घंटों का 19.4% और 67.9% के बीच थी।

(पैरा 5.01)

(ii) कम्पनी ने 1985-86 और 1986-87 के दौरान धातु स्कैप व्यापार निगम लिमिटेड (एम एस टी सी) से 499.89 लाख रु. का उपस्कर पट्टा पर लिया यद्यपि इसके पास ये उपस्कर थे।

(पैरा 5.02)

(iii) 31 मार्च 1994 को 28.56 करोड़ रु. मूल्य के उपस्कर फालतू थे।

(पैरा 5.03)

## 6. वित्तीय निष्पादन

(i) 1991-92 से कम्पनी की आय में वृद्धि हो रही है जबकि आय की तुलना में निवल लाभ की प्रतिशतता धीरे धीरे कम हो रही है।

(पैरा 6.01)

(ii) कम्पनी ने लागत निर्धारण नियम पुस्तक तैयार नहीं की है। इसने मानक लागत निर्धारण की प्रणाली भी लागू नहीं की है।

(पैरा 6.02)

## 7. श्रम बल विश्लेषण

(i) श्रमबल निर्धारण के संबंध में अप्रैल 1994 में एन आई टी आई ई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जिसमें श्रम बल की कमी दर्शाई गई थी, चरणों में कार्यावन्वित की जा रही थी।

(पैरा 7.01)

(ii) मौद्रिक रूप में प्रति कर्मचारी परिवर्धित मूल्य 1989-90 में 2.88 लाख रु. से घटकर 1993-94 में 2.07 लाख रु. रह गया।

(पैरा 7.02)

## 8. आन्तरिक लेखापरीक्षा

कम्पनी का अपना कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है। आन्तरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट विचार के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(अध्याय 8)

9. ध्यान देने योग्य अन्य विषय

(i) आकसीजन और बिजली का अधिक उपयोग हुआ जिसका मूल्य 10.94 करोड़ रु. आंका गया।

(पैरा 9.01)

(ii) कम्पनी ने आयकर विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने तथा अग्रिम कर की किस्तों आदि का कम अनुमान लगाने के कारण दाण्डिक व्याज के रूप में 18.97 लाख रु. का भुगतान किया।

(पैरा 9.02)

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि लेखा के अकुशल प्रबन्धन के कारण 159.85 लाख रु. की परिहार्य हानि हुई।

(पैरा 9.03)



### प्रस्तावना

हेकेटट इंजीनियरिंग कम्पनी (हारस्को कारपोरेशन आफ यू एस ए का एक प्रभाग) के प्रचालन को देशीकरण करने के भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप स्कैप रिकवरी तकनालोजी के अग्रणी धातु स्कैप व्यापार निगम लि. (एम एस टी सी) (उस समय भारतीय इस्पात प्राधिकरण की सहायक कम्पनी (सेल) को इस निर्णय पर कार्य करने का सुझाव दिया गया। व्यापक अध्ययन के बाद एम एस टी सी ने इस प्रयोजन के लिए स्वतन्त्र कम्पनी गठित करने की सिफारिश की। तदनुसार 200 लाख रु. की प्राधिकृत पूँजी के साथ एम एस टी सी की सहायक कम्पनी के रूप में फेरो स्कैप निगम लिमिटेड को 28 मार्च 1979 को निगमित किया गया। इसने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को), इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) और कड़केला इस्पात संयन्त्र (सेल) में काम कर रही हेकेटट इंजीनियरिंग कम्पनी (भारत की शाखा) के मशीनीकृत स्कैप रिकवरी (स्लैग डेबरिज और अन्य निकलने वाली सम्बद्ध रद्दी से लोहा और इस्पात) के चालू कारोबार को स्वयं ले लिया। चूंकि हेकेटट को देय छरीद प्रतिफल की स्वीकृति देते समय भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 1979 की कटआफ तारीख नियत की थी, 1 जनवरी से 31 जुलाई 1979 तक की अवधि के दौरान कम्पनी के प्रचालन की अनुमति हेकेटट इंजीनियरिंग कम्पनी (भारत की शाखा) को दे दी गई।

एफ एस एन एल जो इस्पात मंत्रालय के अधीन एक संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी है, की प्रदत्त शेयर पूँजी (200 लाख रु.) इस्पात संयन्त्र की मांगे पूरी करने के लिए दोनों कम्पनियों के बीच 27 जून 1979 को हुए सहयोग करार के अनुपालन में एम एस टी सी और एच ए आर एस सी ओं द्वारा 60:40 के अनुपात में घारित है। एफ एस एन एल ने 1 अगस्त 1979 से कामगारों की सेवाओं सहित अवलेखित मूल्य पर हेकेटट इंजीनियरिंग कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में ले लिया।

कम्पनी ने भिलाई इस्पात संयन्त्र में मार्च 1983 में, बोकारो इस्पात संयन्त्र में 1984-85 से, विशाखापत्नम इस्पात संयन्त्र में जुलाई 1990 से और दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र में फरवरी 1991 से अपना क्रिया कलाप आरंभ कर दिया।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी जमशेदपुर में स्कैप रिकवरी यूनिट ने अगस्त 1987 से कार्य करना बन्द कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी स्कैप रिकवरी यूनिट स्थापित कर ली थी और उन्नत तकनोलाजी लागू की थी।

इस समीक्षा में 1985-86 से 1993-94 तक की अवधि शामिल है।

## अध्याय 2

### लक्ष्य

कम्पनी के ज्ञापन पत्र के अनुसार मुख्य लक्ष्य ये थे (i) भारत में हेकेट्‌ट इंजीनियरिंग कम्पनी का चालू कारोबार अपने हाथ में लेना (ii) लोहा और इस्पात स्कैप तथा अन्य धातुओं की रिकवरी के लिए इस्पात मिल एलैग और अन्य रद्दी के संसाधन के कारोबार को चलाना और इस्पात, लोहा और अन्य धातुओं के विनिर्माताओं के लिए सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करना।

कम्पनी ने अभी तक (1995) अपने सूक्ष्म लक्ष्यों का प्रतिपादन नहीं किया है जिसकी सी ओ पी यू द्वारा अपनी 38 वीं रिपोर्ट (छठी लोक सभा) में मई 1979 में सिफारिश की गई थी। तथापि 26 अक्टूबर 1991 को भारत सरकार (इस्पात मंत्रालय) के साथ वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन में मुख्यतः अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जैसे इस्पात संयन्त्र की आन्तरिक निवेश/रद्दी सामग्री से स्कैप की रिकवरी को अधिकतम बनाना ताकि नियोजित पूँजी पर अधिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके और ए एम आर (एडीसन, मोडिफिकेशन और रिप्लेसमेन्ट) योजनाओं के लिए पूँजी व्यय पूरा करने हेतु पर्याप्त आन्तरिक साधनों का सृजन हो सके। इसके दीर्घकालिक लक्ष्य इस्पात संयन्त्रों में स्कैप के संसाधन के लिए तकनालोजी का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन और प्रगामी रूप से स्कैप रिकवरी और संसाधन की समस्त मात्रा को अपने हाथ में लेना, स्लैग का निपटान और अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप हाथ में लेना था ताकि स्कैप के संसाधन के दौरान उत्पादित स्लैग/मक/फ्लाई एस, डेबरिज आदि की लागत और पर्यावरण का प्रभावी प्रयोग हो सके।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1995) कि सहयोग करार के अनुसार मेसर्स हारस्को/हेकेट्‌ट मल्टीसर्व को एफ एस एन एल को मुफ्त में आधुनिक तकनोलोजी उपलब्ध कराना था किन्तु किसी कारणवश उनके द्वारा वह हस्तान्तरित नहीं किया गया। तथापि मेसर्स हारस्को/हेकेट्‌ट मल्टीसर्व द्वारा उठाई गई समस्याओं से निपटने के लिए मई 1992 में एक कार्य दल गठित किया गया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि कम्पनी ने विद्यमान क्रियाकलापों में विकास का पता लगाने और विपथन तथा लागत एवं स्लैग/कार्य फ्लाई एस आदि का पर्यावरण का प्रभावी प्रयोग के लिए एक इंजीनियरिंग तथा विकास विभाग स्थापित की है।

संघ के ज्ञापन पत्र में निर्धारित सहायक और आनुषंगिक लक्ष्यों के संबंध में और भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन में निर्धारित दीर्घकालिक लक्ष्यों के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई थी। 1991-92 में सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद स्लैग के संसाधन के लिए संसाधन और लाभ प्रदाता के यूनिटवार लक्ष्य निर्धारित किए गए। तथापि सूक्ष्म लक्ष्य प्रतिपादित नहीं किए गए क्योंकि सेल के साथ दीर्घकालिक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सका (दिसम्बर 1995)।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1995) कि सरकार द्वारा निगमित योजना अनुमोदित किए जाने के पश्चात् सूक्ष्म लक्ष्य तैयार किया जाएगा। आर्थिक व्यवस्था में हुए हाल के परिवर्तनों और तकनालोजी के अन्तरण के लिए मेसर्स हेकेट/मल्टीसर्व के साथ व्यापार को अन्तिम रूप न दिए जाने को ध्यान में रखते हुए निगमित योजना को पुनः आकार दिया जा रहा था।

### अध्याय 3

#### उत्पादन निष्पादन

##### 3.01 उद्भूत स्कैप का उत्पादन

मार्च 1985 में कम्पनी ने स्कैप की रिकवरी को बढ़ाने के लिए इस्पात संयन्त्रों में सुविधाएं स्थापित करने हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए इंजीनियरी और तकनोलोजी ( सी ई टी ) का केन्द्र सेल को कहा। सी ई टी ने जून 1985 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में प्रत्येक इस्पात संयन्त्र में उद्भूत स्कैप का व्यौरेवार अध्ययन किया और स्कैप को दो श्रेणिओं वर्गीकृत किया अर्थात् प्राइमरी और सेकंडरी स्कैप/ जबकि प्राइमरी स्कैप में रोलिंग मिलों, लेडल मरम्मतों, कास्ट गृह आदि से इनगोट मोल्ड्स, बाटम प्लेट्स क्राप एन्ड्स और कतरन में उद्भूत स्कैप शामिल होते हैं जो अपेक्षाकृत स्वच्छ होते हैं और उनकी रिकवरी सामान्यतः सरल है, सेकण्डरी स्कैप वह है जो ब्लास्ट भट्टी और इस्पात घुलन शाप पर लोहा और इस्पात बनाने की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित स्लैग में अन्तर्निहित होता है और स्लैग, रिफ्रेक्टरी, म्यूक आदि जैसी चीजों के साथ मिश्रित होता है और इसकी रिकवरी के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट में यह उल्लिखित था कि जबकि भिलाई इस्पात संयन्त्र और बोकारो इस्पात संयन्त्र में प्राइमरी स्कैप की रिकवरी के लिए सुविधाएं थीं, अन्य इस्पात संयन्त्रों में केवल सीमित सुविधाएं थीं। सेकण्डरी स्कैप की रिकवरी के लिए किसी भी संयन्त्र में अंतर्निमित सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

सी ई टी ने कम्पनी रिपोर्ट में उपरोक्त संयन्त्रों के संबंध में 30.41 करोड़ रु. की लागत पर दो चरणों में उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए पूँजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया ( चरण I में 22.66 करोड़ रु. और चरण II में 7.75 करोड़ रु. )। जुलाई 1985 में निदेशक बोर्ड ने पुराने उपस्करों के प्रतिस्थापन/ नवीकरण, अतिरिक्त उपस्करों की अधिप्राप्ति आदि के लिए साधन बढ़ाकर विद्यमान क्षमता का विस्तार किया। कम्पनी ने पुराने उपस्करों के नवीकरण/प्रतिस्थापन ( 14.70 करोड़ रु. ) और नए उपस्करों की अधिप्राप्ति ( 36.61 करोड़ रु. ) पर 1985-86 से 1993-94 के दौरान 51.30 करोड़ रु. व्यय किया।

मंत्रालय ने बताया ( दिसम्बर 1995 ) कि सी ई टी के अनुमान से निवेश अधिक होने का मुख्य कारण आर्थिक उदारिकरण के परिणामस्वरूप सृजित डायनेमिक परिस्थिति थी जहाँ सभी इस्पात संयन्त्र प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दे रहे थे यहाँ तक कि एफ एस एल के लिए प्रतियोगी के रूप में भी।

सी ई टी की रिपोर्ट के अनुसार 1984-85 तक भाण्डार में संघित स्कैप की कुल मात्रा 22.40 लाख टन ( लोह स्कैप=10.75 लाख टन और इस्पात स्कैप=11.65 लाख टन ) थी। तथापि कम्पनी ने 9.65 लाख टन अथशेष लिया जबकि यह 11.65 लाख टन था और 10.75 लाख टन लौह स्कैप का अथशेष हिसाब में नहीं लिया। मंत्रालय ने बताया ( दिसम्बर 1995 ) कि कम्पनी ने सेकण्डरी लौह स्कैप ( 10.75 लाख टन ) की

रिकवरी के लिए कोई कारबाई नहीं की। मंत्रालय ने आगे बताया कि सी ई टी रिपोर्ट में प्रदर्शित स्लैग भण्डार की उपलब्धता वास्तविक प्रतीत नहीं होती क्योंकि (i) भण्डार इस्पात संयन्त्र के परिमापी दीवार से बाहर स्थित था (ii) एक ऐसे एल के श्रमिकों और मशीनरी के लिए सामाजिक आर्थिक समस्या में सुरक्षा का अभाव था (iii) स्कैप स्लैग से मुक्त था क्योंकि एफ एल एन एल से स्कैप की रिकवरी की जा चुकी थी (iv) 1987-88 से 1989-90 के दौरान इस्को आधुनिकीकरण के लिए क्षेत्र को समतल बनाने के दौरान लगभग 10 टन स्कैप पूरी तरह जमीन के अन्दर चला गया और प्राइवेट एजेन्सी द्वारा निकाला गया लगभग 5000 टन स्कैप एफ ऐसे एल को सौंप दिया गया। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने अपने अनुभव के आधार पर 9.65 लाख टन इस्पात स्कैप का संचयन प्राप्त किया।

1985-86 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान सी ई टी द्वारा अनुमानित उत्पादन के आधार पर उद्भूत चालू स्कैप, विभिन्न इस्पात संयन्त्रों द्वारा एफ ऐसे एल को आबंटित स्कैप की अनुमानित मात्रा, प्रतिष्ठापित क्षमता, बजटित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन नीचे दिया जाता है:-

#### तालिका ।

( आंकड़े लाख टन में )

वर्ष	सी ई टी द्वारा प्रत्याशित स्कैप की मात्रा (1984-85)	एफ ऐसे एल को सौंपे गए स्कैप की अनुमानित मात्रा	प्रतिष्ठापित क्षमता	वजटित उत्पादन	वास्तविक उत्पादन			निम्नलिखित के साथ वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता			
					एफ एस	ठेकेदार, जोड़	एक एस, एन एल	ठेकेदार जोड़ प्रतिष्ठापित क्षमता	प्रतिष्ठापित उत्पादन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1985-86	6.50	3.81	4.80	5.10	-	5.10	5.63	नगण्य	5.63	117.3	110.4
1986-87	6.99	3.85	6.00	6.12	-	6.12	5.46	0.14	5.60	91.0	89.2
1987-88	7.14	4.85	6.00	5.98	0.42	6.40	4.91	0.74	5.65	81.8	82.1
1988-89	7.49	5.96	6.00	5.65	-	5.65	5.76	1.21	6.97	96.0	101.9
1989-90	7.79	6.46	6.00	6.03	1.29	7.32	6.35	1.73	8.08	105.8	105.3
1990-91	10.19	8.14	6.78	6.17	2.02	8.19	6.41	2.30	8.71	94.5	103.9
1991-92	10.60	9.56	7.90	7.40	1.70	9.10	8.19	1.61	9.80	103.7	110.7
1992-93	10.60	10.31	9.64	10.35	-	10.35	10.28	0.14	10.42	106.6	99.3
1993-94	10.60	10.58	10.15	10.60	-	10.60	10.79	0.75	11.54	106.3	101.8
जोड़	77.90	63.52	63.27	63.40	5.43	68.83	63.78*	8.62	72.40		
(0/8 22.40 को छोड़कर) (ओं वी -9.65 को छोड़कर) (प्रतिष्ठापित क्षमता का 100.81%)											

1. उपरोक्त से यह देखने में आएगा कि यद्यपि 1985-86 से 1993-94 के दौरान समग्र कुल उत्पादन प्रतिष्ठापित क्षमता (अर्थात् 100.81%) वजटित उत्पादन (100.60%) से भी अधिक था, कम्पनी स्कैप विशेषकर 1984-85 में संगणित संचित बकाया मात्रा समाप्त नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा स्कैप का कुल उत्पादन वजटित उत्पादन (1993-94 तक 5.43 लाख टन) से अधिक था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1995) कि 1984-85 में कम्पनी के पास केवल इस्को और आर ऐस पी के प्रचालन के लिए भण्डार थे। 1993-94 तक इस्कों पर भण्डार पहले ही समाप्त हो गए और आधे से अधिक आर ऐस पी पर प्रचालित किए गए।

प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा बजटित उत्पादन से अधिक कुल स्कैप उत्पादन के लिए कोई कारण नहीं दिया गया था।

2. 31 मार्च 1994 को सी ई टी द्वारा निकाली गई बकाया स्टाक की मात्रा (27.90 लाख टन) और कम्पनी द्वारा ली गई मात्रा (0.77 लाख टन) के बीच 27.13 लाख टन का अन्तर था। कम्पनी ने न तो 1984-85 तक संचित बकाया का ब्यौरवार वास्तविक निर्धारण किया और न ही 1985-86 से 1993-94 तक प्रतिवर्ष उद्भूत स्कैप का वास्तविक निर्धारण किया ताकि सी ई टी द्वारा निकाले गए स्टाक का मिलान किया जा सके।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1995) कि सी ई टी रिपोर्ट में दिए अनुमान कतिपय परिकल्पना पर आधारित थे। वास्तविक उत्पादन के साथ तुलना करने के लिए अनुमानों को संशोधित करके हाथ में लिए गए जाबों के वास्तविक क्षेत्रों के बराबर किया जाना था क्योंकि कुछ संयन्त्र उतना कार्य नहीं कर रहे थे जो सी ई टी की रिपोर्ट में अपेक्षित था और उन्होंने अपनी तकनालोजी को ओपन हर्थ से, बी ओ एफ प्रक्रिया में परिवर्तित कर लिया था। इसके अतिरिक्त उद्भूत कुल स्कैप को रिकवरी और संसाधन के लिए एफ एस एल को आबंटित नहीं किया गया था।

3. 1985-86 से 1993-94 की अवधि के लिए यूनिट वार कुल उत्पादन (अनुबन्ध 1) से यह देखने में आया कि

(i) भिलाई यूनिट में वास्तविक उत्पान में प्रतिष्ठापित क्षमता के 53.57% (1987-88) और 157.89% (1993-94) के बीच का व्यापक अन्तर था। तथापि बजटित उत्पादन की तुलना में वास्तविक उत्पादन 1991-92 से धीरे धीरे कम हो रहा था। 1991-92 से यह 151.56% (1990-91) से कम होकर 114.29% रह गया और 1993-94 में 93.75% रह गया। इसके अतिरिक्त 1987-88 से 1993-94 की अवधि के दौरान प्राइमरी स्कैप की कुल 10.54 लाख टन की मात्रा का संसाधन किया गया। इसमें से कम्पनी ने 2.96 लाख टन का संसाधन किया (28%) जबकि प्राइवेट ठेकेदारों ने 7.58 लाख टन का संसाधन किया (72%) जो बजटित उत्पादन में प्राइवेट ठेकेदारों के लिए आबंटित मात्रा (5.43 लाख टन) से अधिक था। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1995) कि 1987-88 में 53.57% कम उत्पादन जमशेदपुर से भिलाई यूनिट में एफ, एस, एन, एल से उत्पादक उपस्करों के स्थानान्तरण और उनके चालू होने के कारण था। मंत्रालय ने आगे बताया कि 1990-91 तक कुल उत्पादन के 57% तक यह कार्य बाहर की एजेन्सी को दिए जाते थे। क्योंकि इस्पात संयन्त्र द्वारा अस्थायी आधार पर एफ एस एल को जाब दिए जाते हैं। 1991-92 से ठेकेदारों द्वारा योगदान पर्याप्त रूप से कम होकर 15% हो गया क्योंकि एफ एस एल की दीर्घकालिक आधार पर जाब देने का इस्पात संयन्त्र ने निर्णय लिया।

(ii) राउरकेला यूनिट में बजटित उत्पादन (14.45 लाख टन ) प्रतिष्ठापित क्षमता (16.74 लाख टन ) की तुलना में कम निर्धारित किया गया था। कम्पनी 1985-86 से 1992-93 के किसी भी वर्ष में प्रतिष्ठापित क्षमता प्राप्त नहीं कर सकी। तथापि 1993-94 के दौरान प्रतिष्ठापित क्षमता का 107.83% वास्तविक उत्पादन था। इसके अतिरिक्त यद्यपि बजटित उत्पादन में प्राइवेट ठेकेदारों के लिए कोई मात्रा निर्धारित नहीं थी, प्राइवेट ठेकेदारों से 0.08 लाख टन की मात्रा संसाधित कराई गई। मंत्रालय ने बताया ( दिसम्बर 1995 ) कि बजटित उत्पादन को प्रतिष्ठापित क्षमता से कम रखने का मुख्य कारण गड़दा खोदने के लिए उत्पादक उपस्करों को नियोजित करना था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि प्राइवेट ठेकेदारों से संसाधन का काम बोर्ड के अनुमोदन से कराया गया था।

(iii) इसको,, बर्नपुर यूनिट पर निर्धारित बजटित उत्पादन (17.17 लाख टन ) प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिक था। तथापि, 1993-94 तक वास्तविक कुल उत्पादन (15.57 लाख टन ) प्रतिष्ठापित क्षमता (16.08 लाख टन ) से भी कम थी। प्रति वर्ष वास्तविक उत्पादन जो 1987-88 तक प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिक था, 1991-92 में 96.51% से काफी कम होकर 1993-94 में 74.36% रह गया। तथापि स्लैग और स्कैप का स्टाक शून्य हो गया (मई 1995)। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1995) कि 1993-94 तक कम उत्पादन मुख्यतः डम्प में घटिया धातिक अंश के कारण था जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी के बिलिंग का प्रधान यूनिट स्कैप की कम प्राप्ति हुई। इसके आगे बताया कि चूंकि 1991-92 से कम्पनी को डम्प में शेष पड़े अंश पर काम करना पड़ा जहां पूर्व में इसको द्वारा नियोजित प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा धातु की रिकवरी पहले ही कर ली गई थी।

(iv) बोकारो यूनिट पर केवल प्राइमरी स्कैप की रिकवरी की गई जिसके लिए इस्पात संयन्त्र के पास अन्तः निर्मित सुविधाएं थीं। तथापि 1986-87 से 1989-90 के दौरान 0.93 लाख टन प्राइमरी स्कैप प्राइवेट ठेकेदारों को सौंप गया यद्यपि बजटित उत्पादन में अलग से नहीं दियाया गया था। इसके अतिरिक्त सेकेण्डरी स्कैप की रिकवरी/संसाधन करने का कार्य (1985-86 से 1993-94 तक की अवधि के लिए सी ई टी द्वारा 11.05 टन अनुमानित ) कम्पनी द्वारा आरंभ नहीं किया गया है। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1995) कि रिकवरी/संसाधन करने का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि यह कार्य कम्पनी को नहीं दिया गया।

(v) दुर्गापुर यूनिट पर कम्पनी ने स्कैप का संसाधन काफी देर से फरवरी 1991 में आरंभ किया। तथापि 1993-94 तक कुल उत्पादन (1.75 लाख टन) कम अर्थात प्रतिष्ठापित क्षमता (1.93 लाख टन) का 90.78% रही। मंत्रालय ने कम उत्पादन का कारण अब संरचना विकसित करने में समय लगाना तथा डम्प में धातु तत्व की कमी बताया (दिसम्बर 1995) क्योंकि इसे पूर्व में पहले ही प्राइवेट एजेन्सी द्वारा मैग्नोटिक क्रेन से उठा लिया गया था।

(vi) विजाग यूनिट पर कम्पनी ने स्कैप संसाधन का कार्य सितम्बर 1990 में आरंभ किया। 1993-94 तक कुल उत्पादन (5.00 लाख टन) प्रतिष्ठापित क्षमता (3.98 लाख टन) से अधिक था जबकि यह बजटित उत्पादन (अर्थात् 5.08 लाख टन) से कम था जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रतिष्ठापित क्षमता कम निर्धारित की गई थी। प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 1993) कि खरीदे गए स्कैप और निर्माण स्कैप के टुकड़े करने और गैस कटिंग के कारण प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिक वास्तविक उत्पादन हुआ। मंत्रालय ने आगे बताया (दिसम्बर 1995) कि ऐसे स्कैप के लिए क्रेन अर्थात् मिल की रद्दी, हाथ से उठाई गई रद्दी आदि द्वारा कम संसाधन की आवश्यकता पड़ती है।

### 3.02 प्रतिष्ठापित क्षमता कम निर्धारित करना

प्रतिष्ठापित क्षमता कम निर्धारित की गई है क्योंकि उपलब्ध घंटों का अधिक से अधिक 67.9% तक ही उत्पादक उपस्करों का उपयोग करके 1985-86 से 1993-94 की अवधि के दौरान कम्पनी ने 100.81% तक वास्तविक औसत उत्पादन प्राप्त किया (देखें पैरा 5.01)।

यद्यपि 6 मुख्य उपस्कार अर्थात् बुलडोजर, डम्पर, फ्रान्ट लोडर (पे लोडर) क्रेन, एक्सकेवेटर और चुम्बकीय विगलक स्कैप की रिकवरी और संसाधन के लिए प्रयोग में लाए गए, कम्पनी ने केवल क्रेन और एक्सकेवेटर-विगलक के संघटन की से प्रतिष्ठापित क्षमता के अवधारण के प्रयोजन के लिए उत्पादक उपस्कर के रूप में लिया। इसके अतिरिक्त उत्पादक उपस्करों के "निवल उपयोग घटी" के लिए मानक भी कम लिए गए थे। जबकि एक्सकेवेटर और ड्रैगलाइन क्रेन के मामले में यह कुल उपलब्ध घंटों का क्रमशः 24.8% और 46.5% था (प्राइमरी और सेकेण्डरी दोनों), एम के क्रेन के मामले में प्राइमरी स्कैप के लिए मात्र 24.8% था।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 1994) कि उपस्कर के लिए मानक उनकी उपलब्धता और उपयोग विगत अनुभव के आधार पर निर्धारित किए गए थे और इस्पात संयन्त्रो द्वारा; उसी प्रकार के उपस्कर के लिए निर्धारित किए गए थे। मंत्रालय ने आगे बताया (दिसम्बर 1995) कि उत्पादक उपस्कर का 67.9% उपयोग सामान्य था जो इसी प्रकार के अन्य सेक्टरों में लागू था। कोल इंडिया लिमिटेड में यह मानक 56% था।

यह तथ्य रह जाता है कि कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रतिष्ठापित क्षमता वैज्ञानिक औद्योगिक इंजीनियरी अध्ययन पर नहीं आधारित था।

### 3.03 प्राइवेट पार्टियों द्वारा स्कैप की रिकवरी

कम्पनी को राउरकेला, दुर्गापुर, विजाग इस्पात संयन्त्र (वी एस पी) और इस्को बर्नपुर में उद्भूत 100 प्रतिशत लोहा और इस्पात स्कैप का संसाधन करना था। कम्पनी राउरकेला और विजाग इस्पात संयन्त्र में उद्भूत 100 प्रतिशत का संसाधन कर सकी। यह अन्य इस्पात संयन्त्रों में इसे प्राप्त नहीं कर सकी। चूंकि कम्पनी अपनी अपेक्षित वचन वद्धता पूरी नहीं कर सका इसलिए इस्पात संयन्त्र भिलाई, बोकारो, बर्नपुर और दुर्गापुर ने 1985-86 से 1993-94 के दौरान 9.48 लाख टन स्कैप की रिकवरी के लिए प्राइवेट ठेकेदारों को नियोजित किया। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1995) कि कम्पनी परस्पर सहमत ठेका के अनुसार इस्पात संयन्त्रों द्वारा सौंपे जाने पर लोहा और इस्पात स्कैप से उत्पन्न स्कैप की रिकवरी और संसाधन कर रही थी।

### सामग्री प्रबन्धन और सामान सूची नियन्त्रण

#### 4.01 भण्डारों और फालतू सामानों की अधिक खपत

सी ई टी ने अपनी परियोजना रिपोर्ट में क्रमशः नए और पुराने उपस्करों के मामले में 5% और 7.5% मण्डलों और फालतू सामानों की खपत का मानक निर्धारित किया था। 1985-86 से 1993-94 के दौरान मानक से अधिक भण्डारों और फालतू सामानों की खपत के परिणामस्वरूप 1472.77 लाख रु. अतिरिक्त व्यय हुआ। भण्डारों और फालतू सामानों की 1992-93 और 1993-94 के दौरान असामान्य रूप से अधिक खपत हुई जो क्रमशः 812.77 लाख रु. और 977.33 लाख रु. की थी जबकि मानक के अनुसार 370.16 लाख रु. और 417.63 लाख रु. होनी चाहिए थी।

प्रबन्धन ने बताया (1993) कि अधिक हुई खपत का परिकलन करते समय परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन मूल्य, व्याज की वचत, मूल्य में वृद्धि, देशी भण्डारों और फालतू सामानों आदि की घटिया कोटि जैसे करणों पर विचार नहीं किया गया हैं। मंत्रालय ने आगे बताया (दिसम्बर 1995) कि निर्धारित अनुमान/मानक में कार्य के स्वरूप और परिस्थितियां जिनके अधीन एफ एस एन एल विभिन्न इस्पात संयन्त्रों में काम करना पड़ता था, को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके अतिरिक्त भण्डारों और फालतू सामानों की खपत की संगणना करते समय 1985-86 में एम एस टी सी से पटटा पर लिए गए उपस्कर और बी एस पी द्वारा भी मुक्त में आपूर्त उपस्कर पर विचार नहीं किया गया है। सी ई टी रिपोर्ट 1985 में तैयार की गई और उसी समय से सभी वस्तुओं के मूल्य में काफी वृद्धि हुई थी।

4.02 कम्पनी ने 1984-85 से 1988-89 के दौरान निष्क्रिय उपस्करों अर्थात् (i) चुम्बकीय विगलक (एस 1064 और एस 1047) (ii) डोजर टी 1158 /डी पर भण्डारों और फालतू सामानों की खपत के लिए 10.53 लाख रु. व्यय किया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 1993) कि विगलक और डोजर पर किया गया व्यय सफल और लाभकारी प्रमाणित नहीं हुआ। मंत्रालय ने आगे बताया (दिसम्बर 1995) कि टायर लगे सेपरेटर का पहली बार प्रयोग किया गया। कुछ वर्षों बाद डोजर की मरम्मत और उसका प्रयोग अलाभकारी पाया गया और मार्च 1990 में बोर्ड के अनुमोदन से इसे रद्द कर दिया गया।

4.03 कम्पनी ने विभिन्न भदों के संबंध में सामान सूची धारिता की न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है (मई 1995)। तीन वर्षों से अधिक समय से जारी न किए गए भण्डारों और फालतू सामानों का मूल्य 8.79 लाख रु. (31 मार्च 1990) से बढ़कर 26.74 लाख रु. (31 मार्च 1994) हो गया। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1995) कि विभिन्न भदों की अधिग्रापित के लिए अपेक्षित विभिन्न लीड समय को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक भद की सूची बनाने के लिए 5 महीने की अवधि को उचित समझा गया और कड़ाई से उसे ही अपनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह विश्लेषण करने तथा देखने के लिए प्रयास किए जा रहे थे कि क्या कुछ आशोधन करके इन फालतू पुजों का प्रयोग किया जा सकता था।

## अध्याय 5

### संयन्त्र और मशीनरी

#### 5.01 मशीन का उपयोग

1984-85 से 1993-94 तक गत 10 वर्षों के दौरान इस्पात संयन्त्र यूनिटों में विभिन्न उत्पादक उपस्करों के उपयोग की प्रतिशतता नीचे दी जाती है:-

(तालिका 2 )

उपस्करों के नाम	यूनिटों में	उपयोग के घंटों की प्रतिशतता				
		राउरकेला	बोकारो	मिलाई	बर्नपुर	दुर्गापुर
1. क्रेन		59.3	33.2	61.8	62.9	31.5
2. एक्सावेटर्स		45.9	19.4	67.9	53.0	39.6
3. सेपरेटर्स		17.0	30.3	23.4	21.5	23.5
4. लीडर्स		26.9	27.6	33.1	27.0	26.1
5. डोजर्स		42.4	16.8	48.1	50.5	33.1
6. डम्पर्स		39.7	26.0	38.8	34.4	28.3
						55.9

यह देखने में आएगा कि क्रेन का उपयोग 28.6% (विजाग) और 62.9% (बर्नपुर) के बीच था जबकि एक्सावेटर्स के मामले में यह 19.4% (बोकारो) और 67.9% (मिलाई) के बीच था। इसके अतिरिक्त सेपरेटर्स का उपयोग न्यूनतम था जो 17.0% (राउरकेला) और 30.3% (बोकारो) के बीच था। विजाग में सेपरेटर्स का उपयोग बिल्कुल ही नहीं हुआ। अन्य उपस्करों के संबंध में उपयोग उपलब्ध घंटों का मात्र 16.8% और 55.9% के बीच था।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1993) कि उपस्करों की क्षमता को मानकीकृत नहीं किया जा सका और उनका उपयोग समान स्तर पर नहीं किया जा सका क्योंकि जॉब के स्वरूप अलग-अलग थे। मंत्रालय ने आगे बताया (दिसम्बर 1995) कि स्कैप की रिकवरी और संसाधन के लिए नियोजित उपस्कर का उपयोग उसकी प्रयुक्ति, इनपुट सामग्री की उपलब्धता, प्रक्रिया स्कैप के निर्गम पर निर्भर करता है और इस प्रकार मानकीकृत नहीं किया जा सका।

5.01.01. कम्पनी ने भिलाई यूनिट के लिए 34.74 लाख रु. की लागत से 1983-84 में चुम्बकी विगलक (एस-1064) की खरीद की जिसका 1989-90 तक प्रयोग नहीं किया जा सका। तथापि, 1990-91 से 1993-94 के दौरान इस उपस्कर का उपयोग मात्र 1026 घटे (16.2%), 3728 घटे (57%), 2475 घटे (36.1%) और 1824 घटे (30.7%) किया गया जबकि उपलब्ध घटे क्रमशः 6330, 6539, 6853, और 5945 थे जिससे यह संकेत मिलता है कि उपस्करों का उपयोग 1992-93 से कम हुआ है। मंत्रालय ने कम उपयोग का कारण निरन्तर प्रयासों के बावजूद भिलाई इस्पात संयन्त्र द्वारा विशेष बाटम साइड डम्प वैगन की अनापूर्ति बताया (दिसम्बर 1995)।

#### 5.02 एम एस टी सी से पट्टा पर लिए गए उपस्कर

1985-86 और 1986-87 में 10 वर्षों की अवधि के लिए एम एस टी सी से 499.89 लाख रु. मूल्य के 10 उपस्कर (अर्थात् 3 चुम्बकीय विगलक, 4 डम्पर्स और 3 डोजर्स) पट्टा पर लिए गए। पट्टा करार के अनुसार कम्पनी को प्रथम 5 वर्षों के लिए उपस्करों की प्रतिवर्ष लागत का 24% की दर पर पट्टा किराया का भुगतान करना था और उसके बाद शेष 5 वर्षों के लिए 6.25% की दर पर भुगतान करना था। कम्पनी ने 1985-86 से 1993-94 के दौरान 681.47 लाख रु. पट्टा किराया का भुगतान किया जो पट्टा पर लिए गए उपस्करों की लागत से अधिक था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने पट्टा पर लिए गए उपस्करों की मरम्मत और रखरखाव पर 157.17 लाख रु. व्यय किया। कम्पनी ने उपस्करों को पट्टा पर लिया था जबकि इसके पास अपेक्षित उपस्करों का फालतू स्टाक था अर्थात् 1986-87 में 3 चुम्बकीय विगलक, 5 डम्पर्स और 3 डोजर्स (अनुबन्ध II क व ख)। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1995) कि सभी तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद दोनों कम्पनियों की परस्पर सहमति से करार को अन्तिम रूप दिया गया था। पट्टा पर लेने के अन्तिम निर्णय से पूर्व पट्टा की तुलना में कर्ज की निधि से वही उपस्कर खरीदने के आर्थिक पहलू की भी जांच की गई थी।

यह तथ्य रह जाता है कि कम्पनी ने कुछ उपस्कर पट्टा पर लिया यद्यपि उनके पास ये उपस्कर कार्य करने की स्थिति में थे।

इसके अतिरिक्त वर्नपुर यूनिट के लिए सितम्बर 1986 में पट्टा पर लिए गए 102.80 लाख रु. के चुम्बकीय विगलक (एस 1318) का मात्र 1986-87 से 1988-89 तक तीन वर्षों के दौरान मात्र 5529 (26.6%) घटे उपयोग किया गया जबकि उपलब्ध घटे 20790 थे। 1989-90 के दौरान यह निष्क्रिय पड़ा रहा और 1990-91 में भिलाई यूनिट में स्थानान्तरित कर दिया गया जहां यह सितम्बर 1993 में पुनः

प्रतिष्ठापित किया गया। पुनः प्रतिष्ठापन के बाद भी इसका उपयोग उपलब्ध घंटों की तुलना में मात्र 42.7% हुआ (मार्च 1994)।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1995) कि कम उपयोग का मुख्य कारण आरंभिक चरण पर कुछ प्रारंभिक समस्याएं थीं क्योंकि ये सेपरेटर्स पहली बार देश में विकसित और तैयार किए गए थे। इसके अतिरिक्त सेपरेटर को बी एस पी को स्थानान्तरित किया गया था जबकि इसको पर डम्प समाप्त कर दिया गया था। इस भारी संरचना में महत्वपूर्ण आशोधन के कारण भिलाई ने भी इसको चालू करने में बहुत समय लिया।

#### 5.03 अधिक संयंत्र और मशीनरी की अधिग्राहिति

31 मार्च 1987 को कंपनी के पास 10.54 करोड़ रु. मूल्य के 17 उपस्कर आवश्यकता से अधिक थे। ये 31 मार्च 1994 को बढ़कर 32 विभिन्न उपस्कर हो गए जिनका मूल्य 28.56 करोड़ रु. था (अनुबन्ध II-ख)। प्रबन्धकों ने गत 8 वर्षों के दौरान अधिक संयंत्र व मशीनरी को कम करने की कोई कार्रवाई नहीं की है।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 1993 को डोजर्स (9 अदद), एक्सकेटर्स (4 अदद) और क्रेन (8 अदद) अधिक थे, कंपनी ने 1993-94 के दौरान एक डोजर (75 लाख रु.), एक एक्सकेटर (86 लाख रु.) और चार क्रेन्स (213.92 लाख रु.) खरीद की जिससे यह स्पष्ट है कि संयंत्र और मशीनरी की अधिग्राहिति से पूर्व कोई अध्ययन नहीं किया गया जिसमें 374.92 लाख रु. का भारी निवेश अन्तरग्रहस्त था।

प्रबन्धन ने बताया (मई 1995) कि 1993-94 के दौरान 3 डोजरों, 2 डम्परों और 2 सेपरेटरों का प्रतिस्थापन उपस्कर के रूप में प्रयोग किया गया। मंत्रालय ने आगे बताया (दिसम्बर 1995) कि ये उपस्कर विभिन्न यूनिटों में अतिरिक्त कारोबार की आवश्यकता पूरी करने के लिए बोर्ड के अनुमोदन से प्राप्त किए गए थे। इसके अतिरिक्त एफ एस एन एल स्थायी परिसम्पत्तियों में अपनी निधि के निवेश में काफी सावधान थी ताकि अति पूजीकरण का परिहार्य किया जा सके।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि 1993-94 के दौरान भी अत्यधिक संख्या में ये उपस्कर फालतू पड़े हुए थे।

## अध्याय 6

### वित्तीय निष्पादन

6.01 31 मार्च 1994 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान कम्पनी का वित्तीय निष्पादन नीचे दिया जाता है:-

### तालिका -3

		वर्ष				
		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
i )	आय (सेवाप्रभार)	3106.18	3006.33	3722.95	4807.30	5516.07
ii )	सकल लाभ (कर व मूल्यहास से पूर्व लाभ)	1481.19	1436.56	1807.36	2061.17	1097.02
iii )	निवल लाभ	443.31	568.83	672.42	846.67	393.94
iv )	सकल लाभ से आय की प्रतिशतता	47.69	47.78%	48.55%	42.88%	19.89%
v )	निवल लाभ से आय की प्रतिशतता	14.27	18.92%	18.06%	17.61%	7.14%

यद्यपि कम्पनी की आय (सेवा प्रभार) में 1991-92 से वृद्धि हो रही है, आय की तुलना में निवल लाभ की प्रतिशतता में धीरे-धीरे कमी आ रही है (अर्थात् 1990-91 में 18.92% से 1992-93 में 17.61% प्रतिशत)। तथापि 1993-94 में मुख्यतः कर्मचारियों की परिलब्धियों और लाभों में वृद्धि, आक्सीजन तथा गैसोलीन और भण्डारों तथा फालतू पुजों की अधिक खपत और पूर्ववर्ती अवधि के व्यय के कारण यह घटकर 7.14% रह गई। मंत्रालय ने इन कारणों को मानते हुए बताया (दिसम्बर 1995) कि राजस्व में तदनुरूपी वृद्धि के बिना इनपुट की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि हुई।

6.02 कम्पनी ने लागत नियम पुस्तक तैयार नहीं की है। इसने मानक लागत प्रणाली भी लागू नहीं की है।

1983-84 से 1993-94 के दौरान की गई सेवाओं की प्रतिटन लागत 1983-84 में 112.69 लाख रु. और 1993-94 में 357.27 लाख रु. के बीच था जिसमें पूर्व की अवधि का व्यय शामिल नहीं है।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1993) कि बजट नियंत्रण प्रणाली के प्रचालन द्वारा लागत पर नियंत्रण रखा जाता था और मानक लागत प्रणाली के अभाव के कारण परिवर्तनीय/नियंत्रण योग्य लागत पर उचित नियंत्रण रखने में कोई बाधा नहीं आई। लागत प्रणाली तैयार करने के लिए नवम्बर 1993 में लागत परामर्शदाता नियुक्त किया गया। मंत्रालय ने आगे बताया (दिसम्बर 1995) कि उसने प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और ब्यौरेवार अध्ययन करने से पूर्व कतिपय कार्रवाई का सुझाव दिया है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है (दिसम्बर 1995)।

### 7.01 श्रमबल विश्लेषण

1993-94 के अंत में गत 11 वर्षों के दौरान 31 मार्च को कार्मिकों की कुल संख्या 526 (1983-84) और 1390 (1993-94) के बीच थीं। 1989-90 में 717 से 1991-92 में 1175 तक बढ़कर कार्मिकों की संख्या में अद्यानक वृद्धि हुई जो और बढ़कर 1993-94 में 1390 हो गई। प्रबन्धन ने बताया कि श्रमबल में वृद्धि मुख्यतः 1990-91 के दौरान विभाग और दुर्गापुर में नई यूनिटें स्थाने के कारण हुई (पूर्व के ठेकेदारों से कर्मचारियों को शामिल करके)।

कम्पनी ने औद्योगिक इंजीनियरी अध्ययन के लिए जनवरी 1993 में एन आई टी आई ई (नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ ट्रेनिंग इन इन्डस्ट्रीयल इंजीनियरी बम्बई) को नियोजित किया। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1995) के एन आई टी आई ई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कुछ स्थानों पर लघु समायोजनों के साथ एफ एस एन एल में श्रमबल की कमी दर्शाई गई थी। कम्पनी की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्ट धीरे-धीरे चरणबद्ध ढंग से लागू की जा रही है।

### 7.02 उत्पादकता विश्लेषण

1984-85 से 1993-94 के दौरान आर्थिक रूप में कर्मचारी जोड़ा गया मूल्य 1984-85 में 82728 रु. और 1989-90 में 288011 रु. के बीच रहा। तथापि 1989-90 की तुलना में प्रति कर्मचारी जोड़ा गया मूल्य घटकर 1993-94 में 2,06,539 रु. रह गया। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1995) कि 1993-94 में प्रति कर्मचारी जोड़े गए मूल्य में अल्प गिरावट का मुख्य कारण कर्मचारियों को तदर्थ भुगतान, इनपुट की लागत में वृद्धि, पूर्व की अवधि के व्यय का समायोजन और इस्पात संयंत्रो (बी एस पी, आर एस पी व इस्को) से प्राप्त होने वाले सेवा प्रभारों को छोड़ देना भी था।

### आन्तरिक लेखापरीक्षा

कम्पनी के पास आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है। यह 1983-84 से प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की फर्म को आन्तरिक लेखापरीक्षा करने के लिए नियोजित करती है। कम्पनी ने 1988 में आन्तरिक लेखापरीक्षा नियम पुस्तक लागू की। नियम पुस्तक के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर यूनिटों/विभागों की टिप्पणियां प्रतिछमाही में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जानी थीं। तथापि आन्तरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें निर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 1993-94 के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1995) कि 1993-94 के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी जो अब प्रस्तुत की जा रही है।

### ध्यान देने योग्य अन्य विषय

9.01 आक्सीजन और इलेक्ट्रिसिटी की अधिक खपत 13.40 करोड़ रु.

भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ 5 दिसम्बर 1981 के करार के अनुसार आक्सीजन और विद्युत की खपत के लिए समुचित मानक एक वर्ष वास्तविक प्रचालन के बाद अवधारित किया जाना था और समय-समय पर अन्य पार्टियों को लागू दरों के अनुसार अधिक खपत की लागत कम्पनी द्वारा वहन की जानी थी।

जबकि विद्युत और आक्सीजन की खपत के लिए मानक काफी विलम्ब से क्रमशः सितम्बर 1988 और सितम्बर 1992 में निर्धारित किया गया, जून 1994 तक इन सेवाओं के लिए वसूली की दरों पर सहमति नहीं हुई। 1982-83 से 1991-92 के दौरान कम्पनी ने मानक से अधिक 6.96 करोड़ रु. (आक्सीजन 6.75 करोड़ रु. और इलेक्ट्रिसिटी 0.21 करोड़ रु.) के आक्सीजन और इलेक्ट्रिसिटी की खपत की जैसा कि भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा दावा किया गया था। मई 1994 में भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने दावा को संशोधित करके 16.30 करोड़ रु. कर दिया जिसमें 1992-93 तक की अवधि शामिल की गई थी और कम्पनी को देय सेवा प्रभार बिलों से 7.15 करोड़ रु. की वसूली एक पक्षीय रूप से कर ली। प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 1993) कि आक्सीजन और विद्युत की अधिक खपत भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा प्रतिष्ठापित ऊराब मीटर के कारण हुआ जिसके लिए शिकायत की गई है। बी एस पी ने दावा किया कि मीटरों की कई बार जांच कर ली गई है और वे ठीक पाए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी की खपत को मापने के लिए 1985-86 तक कोई पावर मीटर भी नहीं था।

जून 1994 में हुई बैठक में कम्पनी ने 10.94 करोड़ रु. का दावा (आक्सीजन 10.74 करोड़ रु. और इलेक्ट्रिसिटी 0.20 करोड़ रु.) अन्तिम निपटान के लिए स्वीकार कर लिया। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1995) कि इन निपटान को बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया था। इसके अतिरिक्त बी एस पी से आक्सीजन लेने की प्रथा समाप्त कर दी गई थी और एफ एस एन एल ने बाहर से आक्सीजन प्राप्त करने की अपनी स्वयं की व्यवस्था की थी।

## 9.02 शास्त्रिक ब्याज का परिहार्य भुगतान

आयकर विवरणी विलम्ब से दाखिल करने, अग्रिम कर की किस्तों का कम अनुमान लगाने, अग्रिम कर के कम भुगतान और शास्त्रिक ब्याज के भुगतान में विलम्ब आदि के कारण निर्धारण वर्ष 1987-88 के लिए कम्पनी पर 18.97 लाख रु. का शास्त्रिक ब्याज लगाया गया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 1993) कि निगमित कार्यालय के जमशेदपुर से भिलाई स्थानान्तरण के कारण विवरणी प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ और अग्रिम कर का अनुमान नहीं लगाया जा सका। तथापि मामले की जांच की जा रही है। मंत्रालय ने आगे बताया (दिसम्बर 1995) कि यद्यपि इसमें कम्पनी की कोई गलती नहीं थी किन्तु निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर शास्त्रिक ब्याज लगाया कि निर्धारिती कम्पनी को आय की जानकारी थी परन्तु उसने समय पर अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया।

## 9.03 कर्मचारियों की भविष्य निधि लेखाओं के अकुशल प्रबन्धन के कारण परिहार्य हानि

कम्पनी ने न्यासी बोर्ड द्वारा रखे गए भविष्य निधि खातों में 1980-81 से हानि का संचयन आरंभ हो गया। 1982 में यह मामला कम्पनी के निदेशक बोर्ड के समक्ष रखा गया। किन्तु घाटे पर नियंत्रण पाने के लिए कम्पनी द्वारा कोई ठोस उपाय नहीं किए गए जो 31 मार्च 1994 को बढ़कर 159.85 लाख रु. हो गया। घाटे का संचयन मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुआ : (i) सरकारी प्रतिभूतियों को उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व कम राशि पर बेचने के कारण हानि (ii) अभिरक्षक से प्रतिभूतियों की गैर वसूली और (iii) कम दरों पर सदस्यों को दिए गए कर्जे पर ब्याज की हानि जो भविष्य निधि जमा पर ब्याज की दरों से कम थी। इसके अतिरिक्त न्यासियों की अभिरक्षा में रखी हुई 46.36 लाख रु. की प्रतिभूतियां भविष्य निधि की लेखापरीक्षा करने वाले लेखापरीक्षकों को प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए नहीं दी जा सकी।

159.85 लाख रु. के घाटा के प्रति कम्पनी ने 31 मार्च 1994 तक घाटा पूरा करने के लिए भविष्य निधि न्यास को 205.84 लाख रु. का भुगतान किया (प्रतिभूति और उसपर ब्याज सहित)।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1995) कि भविष्य निधि लेखाओं में हुए घाटे के मामले पर कम्पनी द्वारा कोई जांच नहीं की गई क्योंकि उपलब्ध रिकार्डों से घाटे का कारण निर्धार्य था।

भविष्य निधि लेखाओं में घाटे के लिए अभी तक कोई उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया है  
(दिसम्बर 1995)।

नई दिल्ली

दिनांक :

04 MAR 1996

बी॒-३ प्रसाद ५५८

(बीरेन्द्र प्रसाद माधुर)

उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं

अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

नई दिल्ली

दिनांक :

04 MAR 1996

(सि. जि. सोमैया)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबन्ध ।

(देखें पैरा 3 (i) से vi)

1985-86 से 1993-94 के दौरान मेसर्स एफ एस एन एल बिलाई में निर्दिष्ट उद्भूत, स्कैप,

प्रतिष्ठापित क्षमता, बजटित उत्पादन, वास्तविक उत्पादन और ठेकागत उत्पादन का यूनिटवार ब्यौरा दशनि

वाला विवरण

वर्ष	निर्दिष्ट उद्भूत प्रतिष्ठापित क्षमता		बजटित उत्पादन		वास्तविक उत्पादन		ठेकागत कूल जोड़		(आंकड़े लाख टनों में)		निम्नलिखित के साथ वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता उत्पादन			
	स्कैप की अनुमा- नित मात्रा		प्राइमरी	सेकेन्डरी जोड़	क्षमता	ठेकेदार जोड़	प्राइमरी	सेकेन्डरी जोड़	(11+12)	प्रतिष्ठापित क्षमता				
			(3+4)	के कागण	के कागण	(6+7)	के कागण	(9+10)		बजटित उत्पादन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
भिन्नाई दृष्टिकोण														
ओ.वी.	1.40													
1985-86	0.70	-	0.62	0.62	00.48	-	0.48	0.02	00.67	0.69	-	0.69	111.29	143.75
1986-87	0.66	-	0.62	0.62	00.72	-	0.72	0.01	00.74	0.75	-	0.75	120.97	104.17
1987-88	1.22	0.15	1.25	1.40	00.78	0.42	1.20	0.02	00.73	0.75	0.58	1.33	53.57	96.15
1988-89	2.05	0.15	1.25	1.40	01.04	-	1.04	0.06	01.12	1.18	0.88	2.06	84.28	113.46
1989-90	2.65	0.15	1.25	1.40	01.41	1.29	2.70	0.28	01.57	1.85	1.43	3.28	132.14	131.21
1990-91	3.67	0.16	1.56	1.72	01.28	2.02	3.30	0.38	01.58	1.94	2.30	4.24	112.79	151.56
1991-92	3.65	0.16	1.56	1.72	01.75	1.70	3.45	0.55	01.45	2.00	1.61	3.61	116.28	114.29
1992-93	3.88	0.49	1.41	1.90	02.20	-	2.20	0.99	01.28	2.27	0.12	2.39	119.47	103.18
1993-94	4.25	0.34	1.56	1.90	03.20	-	3.20	0.68	02.32	3.00	0.66	3.66	157.89	93.75
	24.13	1.60	11.08	12.68	12.86	5.43	18.29	2.99	11.44	14.43	7.58	22.01		
गड़खला यूनिट														
ओ.वी.	3.50													
1985-86	1.44	0.37	0.88	1.25	00.96		0.96	0.35	0.79	1.14	-	1.14	91.20	118.75
1986-87	1.37	0.28	0.97	1.25	01.50		1.50	0.21	0.86	1.07	-	1.07	85.60	71.33
1987-88	1.39	0.47	1.17	1.64	01.56		1.56	0.24	1.12	1.36	-	1.36	82.93	87.18
1988-89	1.46	0.62	1.41	2.03	01.48		1.48	0.43	1.23	1.66	-	1.66	81.77	112.16
1989-90	1.45	0.62	1.41	2.03	01.68		1.68	0.42	1.34	1.76	-	1.76	86.70	104.76
1990-91	1.83	0.62	1.41	2.03	01.71		1.71	0.52	1.00	1.52	-	1.52	74.88	88.89
1991-92	1.52	0.62	1.41	2.03	01.37		1.37	0.56	0.84	1.40	-	1.40	68.97	102.19
1992-93	1.53	0.62	1.56	2.18	02.00		2.00	0.73	1.44	2.17	0.02	2.19	99.54	108.50
1993-94	1.81	0.74	1.56	2.30	02.19		2.19	0.59	1.89	2.48	0.06	2.54	107.83	113.24
	17.30	4.96	11.78	16.74	14.45		14.45	4.05	10.51	14.56	0.08	14.64		
वर्नेयर दृष्टिकोण														
ओ.वी.	4.50													
1985-86	1.44	0.38	0.71	1.09	01.68		1.68	1.01	0.74	1.75	-	1.75	160.55	104.17
1986-87	1.38	0.60	1.43	2.03	02.34		2.34	0.89	1.15	2.04	-	2.04	100.43	87.18
1987-88	1.39	0.60	1.43	2.03	03.06		3.06	0.79	1.50	2.29	-	2.29	112.81	74.84
1988-89	1.26	0.60	1.43	2.03	02.43		2.43	0.75	1.17	1.92	-	1.92	94.58	79.01
1989-90	1.06	0.60	1.43	2.03	01.68		1.68	0.56	1.13	1.69	-	1.69	83.25	100.60
1990-91	1.06	0.60	1.43	2.03	01.50		1.50	0.50	1.15	1.65	-	1.65	81.28	110.00
1991-92	1.18	0.49	1.23	1.72	01.65		1.65	0.51	1.15	1.66	-	1.66	96.51	100.61
1992-93	1.20	0.44	1.12	1.56	01.61		1.61	0.41	1.00	1.41	-	1.41	90.38	87.56
1993-94	0.87	0.44	1.12	1.56	01.22		1.22	0.18	0.98	1.16	-	1.16	74.36	95.08
	15.34	4.75	11.33	16.08	17.17		17.17	5.60	9.97	15.57	-	15.57		

वर्ष	निर्दिष्ट उद्भूत प्रतिष्ठापित क्षमता			बजटित उत्पादन			वास्तविक उत्पादन			ठेकागत कुन्य जोड (आंकड़े लाख टनों में)			
	नक्षेप की अनुसा- नित सांख्य	प्राहमरी	सेकेन्ड्री जोड	क्षमता (3+4)	ठेकेदार के कारण	जोड के कारण	प्राहमरी	सेकेन्ड्री जोड (9+10)	(11+12)	प्रतिष्ठापित क्षमता	उत्पादन	प्रतिष्ठापित क्षमता	उत्पादन
<b>बोकारो यूनिट</b>													
1985-86	0.23	0.29	-	0.29	0.30	0.30	0.09	0.09	-	0.09	31.03	30.00	
1986-87	0.44	0.47	-	0.47	0.12	0.12	0.32	0.32	0.14	0.46	68.09	266.67	
1987-88	0.85	0.47	-	0.47	0.48	0.48	0.46	0.46	0.16	0.62	97.87	95.83	
1988-89	1.19	0.47	-	0.47	0.70	0.70	1.01	1.01	0.33	1.34	214.89	144.29	
1989-90	1.30	0.47	-	0.47	1.26	1.26	1.05	1.05	0.30	1.35	223.40	83.33	
1990-91	1.17	0.78	-	0.78	1.03	1.03	1.05	1.05	-	1.05	134.62	101.94	
1991-92	1.56	1.50	-	1.50	1.28	1.28	1.49	1.49	-	1.49	99.33	116.41	
1992-93	1.72	1.81	-	1.81	2.07	2.07	2.03	2.03	-	2.03	112.15	98.07	
1993-94	1.72	1.81	-	1.81	1.66	1.66	1.67	1.67	-	1.67	92.27	100.60	
	10.18	8.07	-	8.07	8.90	8.90	9.17	9.17	0.93	10.10			
<b>दुर्गापुर यूनिट</b>													
ओर्ग वी	0.25												
1990-91	0.00	-	0.22	0.22	0.05	0.05	0.00418	0.00418	-	0.00418	1.90	8.36	
1991-92	0.22	-	0.31	0.31	0.25	0.25	0.27	0.27	-	0.27	87.10	108.00	
1992-93	0.27	-	0.62	0.62	0.76	0.76	0.73	0.73	-	0.73	117.74	96.05	
1993-94	0.25	-	0.78	0.78	0.66	0.66	0.75	0.75	-	0.75	96.15	113.64	
	0.99		1.93	1.93	1.72	1.72	1.75418	1.75418		1.75418			
<b>विजया यूनिट</b>													
1990-91	0.41	-	-	-	0.60	0.60	0.25	-	0.25	-	0.25	-	41.67
1991-92	1.43	0.62	-	0.62	1.10	1.10	1.35	-	1.35	-	1.35	217.74	122.73
1992-93	1.71	1.56	-	1.56	1.71	1.71	1.67	-	1.67	-	1.67	107.05	97.66
1993-94	1.68	1.80	-	1.80	1.67	1.67	1.73	-	1.73	0.03	1.76	96.15	103.59
	5.23	3.98		3.98	5.08	5.08	5.00	-	5.00	0.03	5.03		
<b>जमशेदपुर यूनिट</b>													
1985-86	0.23	1.33	1.56	1.68	1.68	0.34	1.62	1.96	-	1.96	125.64	116.67	
1986-87	0.23	1.33	1.56	1.44	1.44	0.22	1.06	1.28	-	1.28	82.05	88.89	
1987-88	0.06	0.33	0.39	0.10	0.10	0.01	0.05	0.06	-	0.06	15.38	60.00	
	0.52	2.99	3.51	3.22	3.22	0.57	2.73	3.30	-	3.30			

अनुबन्ध -॥ (क)

(पैरा 5.02 देखें)

विभिन्न यूनिटों में प्रयोग के लिए मेसर्स एम एसटी सी से पट्टा पर लिए गए उपस्करों का व्यौरा दर्शनी वाला

विवरण :-

क्र.सं.	विवरण	यूनिट संख्या	पट्टा पर लेने की तारीख	उपस्करों की मूल लागत	किस यूनिट पर
					प्रतिष्ठापित है
1.	चुम्बकीय विलगक	एस-13190	26.7.87	10280000	राउरकेला
2.	टेरेक्स डम्पर	डी टी-1314 डी	28.2.86	1846166	राउरकेला
3.	डोजर	टी-3316एम	13.1.86	4400810	भिलाई
4.	डम्पर	डी टी-1313एम	30.1.86	1848281	भिलाई
5.	चुम्बकीय विलगक	एस-1318	सित. 86	10280000	बर्नपुर
6.	चुम्बकीय विलगक	एस-1320	दिस. 86	10280000	बर्नपुर
7.	डोजर	टी-1315	नव. 86	4400810	बर्नपुर
8.	डम्पर	डी टी-1311	जन. 86	1848281	बर्नपुर
9.	डोजर	टी-1317	फर. 86	4400810	बर्नपुर
10.	डम्पर	डी टी-1312	जन. 86	1845015	बर्नपुर

अनुबन्ध II(ख)

(टेक्स ऐरा 5.02)

1986-87 से 1993-94 के दौरान अधिक उपस्कृती की संख्या और उनके मूल्य दर्शने वाला विवरण

(मात्रा संख्या में)

(मूल्य साल्प. रु. में)

उपस्कृत ब्यूनिट	1	2	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
			3	4	5	6	7	8	9	10
केन्स बर्नपुर	1	अदद (100.00 रु.)	1 अदद (102.00 रु.)	2 अदद (210.00 रु.)	1 अदद (105.00 रु.)	1 अदद (108.00 रु.)	1 अदद (110.00 रु.)	1 अदद (110.00 रु.)	1 अदद (110.00 रु.)	1 अदद (110.00 रु.)
राऊरकेन्ना	2	अदद (200.00 रु.)	3 अदद (306.00 रु.)	1 अदद (105.00 रु.)	1 अदद (1.05.00 रु.)	2 अदद (216.00 रु.)	2 अदद (220.00 रु.)	2 अदद (220.00 रु.)	2 अदद (220.00 रु.)	2 अदद (220.00 रु.)
बोकारो	-	-	-	1 अदद (105.00 रु.)	1 अदद (1.05.00 रु.)	2 अदद (216.00 रु.)	3 अदद (330.00 रु.)	2 अदद (220.00 रु.)	3 अदद (330.00 रु.)	
भिन्नाई	-	-	2 अदद (204.00 रु.)	2 अदद (210.00 रु.)	2 अदद (210.00 रु.)	1 अदद (108.00 रु.)	1 अदद (110.00 रु.)	2 अदद (220.00 रु.)	1 अदद (110.00 रु.)	
दुर्गापुर	-	-	-	-	-	-	1 अदद (110.00 रु.)	1 अदद (110.00 रु.)	1 अदद (110.00 रु.)	
एक्सावेटर बर्नपुर	-	-	-	-	-	1 अदद (105.00 रु.)	1 अदद (110.00 रु.)	1 अदद (110.00 रु.)		
राऊरकेन्ना	1	अदद (90.00 रु.)	-	1 अदद (95.00 रु.)	1 अदद (100.00 रु.)	1 अदद (105.00 रु.)	-	1 अदद (110.00 रु.)	1 अदद (110.00 रु.)	
बोकारो	-	-	-	-	-	-	-	1 अदद (110.00 रु.)	1 अदद (110.00 रु.)	
भिन्नाई	-	-	-	-	-	1 अदद (105.00 रु.)	1 अदद (110.00 रु.)	1 अदद (110.00 रु.)		
दुर्गापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
चम्पकीय बर्नपुर	2	अदद (206.00 रु.)	2 अदद (210.00 रु.)	4 अदद (420.00 रु.)	2 अदद (220.00 रु.)	2 अदद (230.00 रु.)	1 अदद (125.00 रु.)	1 अदद (140.00 रु.)	1 अदद (140.00 रु.)	
बिलगांठ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
राऊरकेन्ना	1	अदद (103.00 रु.)	3 अदद (315.00 रु.)	3 अदद (315.00 रु.)	3 अदद (330.00 रु.)	3 अदद (345.00 रु.)	4 अदद (500.00 रु.)	3 अदद (420.00 रु.)	2 अदद (230.00 रु.)	
भिन्नाई	-	-	2 अदद (210.00 रु.)	2 अदद (210.00 रु.)	2 अदद (220.00 रु.)	1 अदद (115.00 रु.)	1 अदद (125.00 रु.)	1 अदद (140.00 रु.)	2 अदद (280.00 रु.)	
बोकारो	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
दुर्गापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	1 अदद (140.00 रु.)	
डोजर बर्नपुर	-	-	1 अदद (73.00 रु.)	-	1 अदद (75.00 रु.)	1 अदद (78.00 रु.)	1 अदद (80.00 रु.)	1 अदद (80.00 रु.)		
राऊरकेन्ना	2	अदद (140.00 रु.)	2 अदद (146.00 रु.)	2 अदद (146.00 रु.)	1 अदद (75.00 रु.)	2 अदद (156.00 रु.)	1 अदद (80.00 रु.)	2 अदद (160.00 रु.)	1 अदद (80.00 रु.)	

भिन्नाई	1 अदद	1 अदद	-	1 अदद	3 अदद	2 अदद	3 अदद	2 अदद
	(70.00 ₹.)	(73.00 ₹.)		(75.00 ₹.)	(234.00 ₹.)	(160.00 ₹.)	(240.00 ₹.)	(160.00 ₹.)
शोकारी	-	-	-	-	-	2 अदद (160.00 ₹.)	2 अदद (160.00 ₹.)	1 अदद (80.00 ₹.)
दुर्गापुर	-	-	-	-	-	-	1 अदद (80.00 ₹.)	-
पे लोडर/ बर्नेपुर एफ एल लोडर	1 अदद (30.00 ₹.)	1 अदद (32.00 ₹.)	1 अदद (35.00 ₹.)	2 अदद (76.00 ₹.)	2 अदद (76.00 ₹.)	1 अदद (46.00 ₹.)	1 अदद (48.00 ₹.)	1 अदद (48.00 ₹.)
रात्रकेना	1 अदद (30.00 ₹.)	1 अदद (32.00 ₹.)	-	-	1 अदद (38.00 ₹.)	-	1 अदद (48.00 ₹.)	1 अदद (48.00 ₹.)
भिन्नाई	-	-	1 अदद (35.00 ₹.)	1 अदद (38.00 ₹.)	3 अदद (114.00 ₹.)	1 अदद (46.00 ₹.)	-	-
शोकारी	-	-	-	-	-	-	1 अदद (48.00 ₹.)	-
दुर्गापुर	-	-	-	-	-	1 अदद (46.00 ₹.)	1 अदद (48.00 ₹.)	-
इमपर बर्नेपुर	4 अदद (68.00 ₹.)	5 अदद (100.00 ₹.)	2 अदद (60.00 ₹.)	3 अदद (99.00 ₹.)	2 अदद (70.00 ₹.)	2 अदद (92.00 ₹.)	2 अदद (100.00 ₹.)	2 अदद (100.00 ₹.)
रात्रकेना	1 अदद (17.00 ₹.)	2 अदद (40.00 ₹.)	1 अदद (30.00 ₹.)	1 अदद (33.00 ₹.)	1 अदद (35.00 ₹.)	2 अदद (92.00 ₹.)	3 अदद (150.00 ₹.)	1 अदद (50.00 ₹.)
भिन्नाई	-	2 अदद (40.00 ₹.)	1 अदद (30.00 ₹.)	2 अदद (66.00 ₹.)	4 अदद (140.00 ₹.)	2 अदद (92.00 ₹.)	1 अदद (50.00 ₹.)	2 अदद (100.00 ₹.)
शोकारी	-	-	2 अदद (60.00 ₹.)	2 अदद (66.00 ₹.)	3 अदद (105.00 ₹.)	3 अदद (138.00 ₹.)	3 अदद (150.00 ₹.)	3 अदद (150.00 ₹.)
दुर्गापुर	-	-	-	-	-	3 अदद (138.00 ₹.)	3 अदद (150.00 ₹.)	2 अदद (100.00 ₹.)
जोड़	17 अदद (1054.00 ₹.)	28 अदद (1883.00 ₹.)	26 अदद (2066.00 ₹.)	27 अदद (1998.00 ₹.)	37 अदद (2699.00 ₹.)	37 अदद (3020.00 ₹.)	42 अदद (3532.00 ₹.)	32 अदद (2856.00 ₹.)

ग्रोत के दी सं. 103, के दी सं. 104 और के दी सं. 102

टिप्पणी : 93-94 के लिए उपस्करों के मूल्य वही लिए गए हैं जो 92-93 में थे।

No. 22 of 1995

शुद्ध पत्र

पृष्ठ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
विषयसूची	15	एन इस टी सी	इस इस टी सी
2	5	(1995)	(दिसम्बर 1995)
4	21	51.30 करोड़ रु.	51.31 करोड़ रु.
5	30	10081%	100.81%
6	34	उत्पादन बजटित	उत्पादन (8.62 लाख टन) बजटित
7	3 (नीचे से)	90.78%	90.7%
12	3	1984-85	1985-86
12	21	मंत्रालय	प्रबन्धन
12	3	10	9
15	13	47.69	47.69%
15	15	14.27	14.27%
16	1	112.69 लाख रु.	112.69 रु.
16	2	357.27 लाख रु.	357.27 रु.
18	1 छोड़कर (चार्टड	प्रतिवर्ष चार्टड	प्रतिवर्ष (1985-86 को छोड़कर) चार्टड
22	16 कालम 13	0.69	0.68
22	24 कालम 13	3.66	3.67

